

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 127/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
श्री ओसवाल समाज बालोतरा (भैरू,भवन)जरीये अध्यक्ष श्री शान्तिलाल डागा पुत्र श्री खुबचन्दजी डागा जाति ओसवाल निवासी डागा स्ट्रीट,खत्रियों का चौक बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर,		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री जेटाराम सिंहल अधिवक्ता,प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पचपदरा विप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक- 27.09.2022

01. संक्षेप में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम बालोतरा खालसा गांव रहा है,जिसमें एक से अधिक सेन्टलमेंट प्रभाव में आये है,प्रथम सेटलमेंट संवत 2012 मुताबिक वर्ष 1955 में प्रभाव में आया। प्रथम सेन्टलमेंट के राजस्व नक्शे के अनुसार खसरा संख्या 317 भूमि आबादी बसी हुई थी और आबदी बसावट के अनुसार रिकर्ड में भी आबादी इन्द्राज हुई और आबादी भूमि के समीप लगती नदी भूमि के खसरा संख्या 456 थे,कि प्रार्थी ओसवाल समाज (भैरू भवन) के नाम से भवन बना हुआ है,जो पुरानी आबादी के खसरा संख्या 317 में बना हुआ था और वर्तमान में नगरपालिका की आबादी भूमि खसरा संख्या 609 में है। प्रथम सेटलमेंट के अनुसार द्वितिय सेटलमेंट में भूमियों के रकबे में परिवर्तन किया गया। कि प्रार्थी

के एकल मालिकना स्वामित्व के पट्टाशुदा भूखण्ड आबादी खसरा संख्या 609 की सीमा के



Dam
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

भीतर स्थित है, उक्त भूखण्ड लूणी नदी की सीमा के भीतर नहीं है और न ही उक्त भूखण्ड के जरीयें प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरान के भू भाग पर अतिक्रमण किया हुआ है। लेकिन द्वितीय सेन्टलमेंट के समय राजस्व अधिकारियों ने विवादित भूमि का गलत तरीके से एकतरफा सीमांकन करते हुए प्रार्थी की पट्टाशुदा भूमि को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकॉर्ड में गलत तरमीम कर दी गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रथम सेन्टलमेंट के अनुसार लट्टा नक्शा में तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया है।

02. प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश किया तथा विवादित भूमि के संबंध में विप्रार्थी पक्ष की ओर से संशोधित जवाब पेश किया।

03. विवादित भूमि की मौका व रेकॉर्ड स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु कमेटी अदालत द्वारा गठित कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर गठित कमेटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई।

04. प्रार्थी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में एनेक्चर-1 नक्शा फोटोप्रति, एनेक्चर-2 जमाबंदी खतौनी फोटोप्रति, एनेक्चर-3 खसरा परिवर्तन फोटोप्रति, एनेक्चर-4 राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया रकबा फोटोप्रति, एनेक्चर-5 राजस्व अधिकारियों के द्वारा नया नक्शा तैयार फोटोप्रति, एनेक्चर-6 सुपर इम्पोज नक्शा फोटोप्रति, एनेक्चर-7 झूम सुपर इम्पोज नक्शा प्रति व एनेक्चर-8 नगरपालिका जारी पट्टा फोटोप्रति एवं एनेक्चर-9 वर्तमान मौके की स्थिति का नक्शा फोटोप्रति पेश की गई।

उक्त समय पक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिये थे, कि प्रार्थी नगरपालिका बालोतरा के पुराने खसरा नम्बर 317 जिसके नया खसरा नम्बर 609 आबादी भूमि पर काबिज हैं, नगरपालिका बालोतरा के द्वारा आबादी भूमि का पट्टा भी प्रार्थी के नाम जारी किया हुआ है, पुराने सेटलमेंट में खसरा नम्बर 317 का था, जिसे राजस्व अधिकारियों ने खसरा नम्बर 609 आबादी भूमि दर्ज किया है, कि सेटलमेंट अधिकारियों ने पूर्व सेटलमेंट का राजस्व नक्शा खसरा नम्बर 317 में त्रुटि व भूल करते हुए सेटलमेंट विभाग राजस्व अधिकारियों ने गलत तरीके से प्रार्थी की आबादी भूमि को नदी में दर्ज कर दिया गया। जबकि जवाब में स्वयं तहसीलदार पचपदरा विप्रार्थी के द्वारा यह स्वीकार किया गया है, कि प्रार्थी के मालिकाना की भूमि खसरा नम्बर 317 की है, जो नदी की नहीं है। उक्त स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

सेटलमेंट अधिकारियों ने गलत तरीके से प्रार्थी की आबादी भूमि को नदी में दर्ज कर दिया गया हैं एवं विधिक सिद्धान्तों व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने विभिन्न निर्णयों में यह माना जा चुका है, कि सेटलमेंट अधिकारियों को किसी भी रूप से रेकॉर्ड में परिवर्तन करने का कोई हक व अधिकार नहीं हैं एवं प्रीवीयस रेकॉर्ड को ही उनको रिपिट करना था, उक्त तथ्य स्वयं विप्रार्थी के जवाब से स्पष्ट होता है। जिससे यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित होता हैं कि सेटलमेंट अधिकारियों ने गलत तरीके से द्वितीय सेटलमेंट में नदी में दर्ज किया गया हैं। न्याय दृष्टान्त निम्न प्रकार है:—2001(1) R.R.T. 244 (HC)Indan V/s. State of Rajasthan &

anr.Settlement department has no competence to change the kind of land, rights of tenure – holders & entries in revenue record.2003 (2) R.R.T. 1027 (Board of

Revenue)State of Rajasthan V/s. Khet Singh & Ors.Settlement authorities have no powers to change the existing entries without order of competent Court. 2009 (2)

R.R.T. 954 (Board of Revenue)Mohammad Mushtaq V/s. Peeru & Ors.Settlement authorities have no powers to change the original entries.2009-10 (SUPP.) R.R.T.

337 (Board of Revenue)Pushpa Devi V/s. State of RajasthanError occurred during settlement can be corrected by the S.D.O.2013 (1) R.R.T. 391 (Board of


Revenue)Udailal & Ors. V/s. State of RajasthanSettlement officer is bound to repeat the existing entries unless there is any order contrary.2015 (2) R.R.T. 1224

(Board of Revenue)Charan Singh & Ors. V/s. Khubi & Ors.Settlement authorities have no powers to delete the original entries and make new entries.2018 (2)

R.R.T. 1158 (Board of Revenue)Chhiddi & Ors. V/s. Bhikkan & Ors.SDO ordered to make correction in the “Naksha Trace” - SDO has jurisdiction to make correction

in the record – Concurrent findings of Courts below – Held, No error in the order.2022 (1) D.N.J. (Rev.) 121 (Board of Revenue)Kajod (Decesead) Thro’ LRS.

V/s. Sharwan Settlement department cannot change the existing entries and not authorized for any change.अतः मैं निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत रेकॉर्ड



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नक्शा एवं जमाबंदी खतौनी को दुरुस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें एवं प्रार्थी के मालिकाना व कब्जे की आबादी भूमि को खसरा नम्बर 609 में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

6. इसके विपरीत विप्रार्थी की बहस थी, कि प्रार्थी की ओर से आवेदन-पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट संवत् 2012 अर्थात् सन् 1955 में हुआ था, जहां आबादी मौके पर बसी हुई थी, जिसका रकबा राजस्व रिकॉर्ड में आबादी के रूप में दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेन्ट वर्ष 1967 में किया गया, तो नदी के बहाव क्षेत्र एवं पानी के भराव क्षेत्र में आने वाली भूमि को गै.मु.नदी दर्ज किया गया, जो वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों के द्वारा जल पातायतन की भूमि सही दर्ज की गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया था, कि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा नदी पातायतन पानी बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र का बारीकी से सर्वे करवाते हुए आबादी बसावट के अनुसार आबादी दर्ज की गई है तथा पानी भराव क्षेत्र की भूमि को गैर मुमकिन नदी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के भूखण्ड परिसर गैर मुमकिन नदी में किया हुआ है, जो कि गैर कानूनी है। प्रार्थीगण द्वारा नगरपालिका बालोतरा में विवादित भूमि के सर्वेक्षण में गलत तथ्यों के आधार पर विवादित भूखण्ड जो गैर मुमकिन नदी में होने के उपरांत भी पट्टा जारी करवा दियें। ऐसे पट्टे प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होते हैं, क्योंकि विवादित भूखण्ड प्रार्थी की पट्टाशुदा भूमि आबादी में न होकर गैर मुमकिन नदी भूमि के अन्दर अवस्थित है। इस



प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि की रिकॉर्ड नक्शा दुरुस्ती करवाने के हकदार नहीं है। क्योंकि विवादित भूखण्ड गैर मुमकिन नदी में अवैध रूप से बनाया हुआ है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया था, कि राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती उसी में हो सकती है, जो दौराने कार्य करते समय कोई त्रुटि अथवा भूलवंश गलती हुई हो। लेकिन हस्तगत आवेदन-पत्र में वर्णित भूमि का वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विस्तृत सर्वे करते हुए हितबद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका व रिकॉर्ड स्थिति अनुसार रिकॉर्ड में संधारण किया था। इस प्रकार प्रार्थीगण किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा गै. मु.नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने के उपरांत इसकी आड़ में राजस्व अभिलेख व नक्शा लक्डा में तरमीम दुरुस्त करवाने की फिराक में है, जिसमें प्रार्थी सफलता प्राप्त करने के हकदार नहीं है अपनी बहस को जारी रखते हुए कथन किया था, पूर्व में उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें प्रार्थी द्वारा बंदोबस्त प्रक्रिया को आक्षेपित किया गया, जिस पर माननीय


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पालय में भूप्रबन्ध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भू प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम गठित कर गत भू प्रबंध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था, जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 317 का भाग होना पाया गया था। जो तत्समय प्रचलित भू प्रबंध के रिकॉर्ड के अनुसार गैर मुमकिन नदी नहीं थी। लेकिन प्रार्थी द्वारा पूर्व प्रचलित भू प्रबंध के दौरान वादग्रस्त भूमि पर कब्जा/विधिक स्वामित्व होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

7. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, विप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं न्यायिक दृष्टांतों का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर आवेदन-पत्र व अपनी बहस में मुख्य इस्तदूआ चाही है, कि गत सेटलमेंट में प्रार्थी का एकल मालिकाना स्वामित्व के पट्टाशुदा भूखण्ड आबादी खसरा संख्या 317 में अवस्थित था, जिसके वर्तमान खसरा संख्या 609 है। लेकिन द्वितीय सेटलमेंट के समय प्रार्थी की विवादित भूमि आबादी सीमा में होने के उपरांत भी तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से गलत सर्वे करते हुए गलत तरीके से प्रार्थी की स्वामित्व भूमि को गैर मुमकिन नदी में रिकॉर्ड व तरमीम अंकन कर दी गई, जो आदिनांक

के गलत तरीके से किया गया रिकॉर्ड इन्द्राज चला आ रहा है, जिसे निरस्त करते हुए प्रार्थी की विवादित भूमि को स्वामित्व खसरा संख्या 609 की सीमाओं के भीतर होना मानकर राजस्व अभिलेख में गलत नक्शों में तरमीम दुरुस्ती करवाना चाह रहे हैं। यह तो तय है, कि गत सेटलमेंट के अनुसार विवादित भूमि आबादी खसरा संख्या 317 में अवस्थित थी और द्वितीय सेटलमेंट के दौरान प्रार्थी की विवादित भूमि आबादी में होने के उपरांत भी तत्कालीन सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा नदी में अंकन कर दी गई, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों को गत सेटलमेंट के अनुसार ही रिकॉर्ड रिपीट करना चाहिए था। जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2001(1) R.R.T. 244 (HC) Indan V/s. State of Rajasthan & anr में प्रतिपादित किया है कि सेटलमेंट-सेटलमेंट आग्रेशन-भूमि की किस्म, कृषको के अधिकार तथा राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां परिवर्तित करने का सेटलमेंट विभाग को अधिकार नहीं है। 2003 (2) R.R.T. 1027 (Board of Revenue) State of Rajasthan V/s. Khet Singh & Ors. में प्रतिपादित किया है कि बन्दोबस्त

अधिकारियों को सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना विद्यमान प्रविष्टियों को बदलने की शक्तियां नहीं हैं, 2009 (2) R.R.T. 954 (Board of Revenue) Mohammad Mushtaq V/s. Peeru & Ors में प्रतिपादित किया है कि मूल प्रविष्टियों को परिवर्तित करने का बंदोबस्त प्राधिकारियों को शक्तियों नहीं हैं। 2009-10 (SUPP.) R.R.T. 337 (Board of Revenue) Pushpa Devi V/s. State of Rajasthan में भी प्रतिपादित किया है कि बंदोबस्त के दौरान हुई त्रुटि को एस.डी.ओ. द्वारा सुधारा जा सकता है। 2013 (1) R.R.T. 391 (Board of Revenue) Udailal & Ors. V/s. State of Rajasthan में प्रतिपादित है कि प्रविष्टियों को दोहराया जाना आवश्यक था—बिना किसी आदेश के भू प्रबंधन प्रविष्टि को विलोपित किया। 2015 (2) R.R.T. 1224 (Board of Revenue) Charan Singh & Ors. V/s. Khubi & Ors में प्रतिपादित है कि भू प्रबंधन विभाग द्वारा कारित त्रुटि को विचारण न्यायालय ने सही किया—भू प्रबंधन विभाग प्रविष्टियों को दोहराने हेतु बाध्य है। 2018 (2) R.R.T. 1158 (Board of Revenue) Chhiddi & Ors. V/s. Bhikkan & Ors में भी प्रतिपादित है कि नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती करने का आदेश दिया—रेकॉर्ड में दुरुस्ती करने की एस.डी.ओ. को क्षेत्राधिकारिता है एवं 2022 (1) D.N.J. (Rev.) 121 (Board of Revenue) Kajod (Decesead) Thro' LRS. V/s. Sharwan में भी प्रतिपादित है कि भू प्रबंधन विभाग मौजूदा इन्द्राजों को परिवर्तित नहीं कर सकता और किसी परिवर्तन हेतु अधिकृत नहीं है। माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से स्पष्ट साबित होता है कि हस्तगत सेटलमेंट के रेकॉर्ड के अनुसार ही द्वितीय सेटलमेंट के अधिकारियों को रेकॉर्ड का इन्द्राज किया जाना चाहिए था। लेकिन हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि गत सेटलमेंट के अनुसार आबादी भूमि में इन्द्राज होने के उपरांत द्वितीय भू प्रबंधन के समय बिना किसी सक्षम आदेश/निर्णय/स्वीकृत के नदी में रेकॉर्ड इन्द्राज कर दिया गया। जिसका तत्समय द्वितीय भू प्रबंधन विभाग को कोई कानूनी प्राधिकारी नहीं था। ऐसा इन्द्राज करने से पूर्व सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी का आदेश/निर्णय प्राप्त करना आवश्यक था। जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य अथवा दस्तावेज विप्राथी द्वारा पेश नहीं किया। जिससे यह जाहिर हो कि आबादी भूमि के स्थान पर गैर मुमकिन नदी का भाग इन्द्राज करने का पारित हुआ हों। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के अधिमतों अनुसार किसी भी खातेदारों के हकों/अधिकारों में न तो भू प्रबंधन विभाग द्वारा कमी जा सकती है और न ही जोड़ा ही जाता है। भू प्रबंधन विभाग की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसके तहत मात्र पूर्व प्रविष्टि को नये नाप को दोहराना भर होता है। ऐसी सूत्र में प्रार्थी की विवादित भूमि में हुए रेकॉर्ड में फेरबदल गत सेटलमेंट के अनुसार ही दुरुस्ती की जानी न्यायोचित प्रतीत होती है।



उपखण्ड अधिकारी
(B.P.O.) बालोतरा

कि भू प्रबंध विभाग द्वारा बिना क्षेत्राधिकार का कृत्य है। साथ ही विप्रार्थी की ओर से अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है, कि पूर्व में उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें प्रार्थी द्वारा बंदोबस्त प्रक्रिया को आक्षेपित किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय में भूप्रबन्ध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक/प/14/(28)(1)भू.अ./रा.प्र./2018/5153 दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भू प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम गठित कर गत भू प्रबंध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था, जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 317 का भाग होना पाया गया था, जो तत्समय प्रचलित भू प्रबंध के रेकॉर्ड के अनुसार गैर मुमकिन नदी नहीं थी। जिससे स्पष्ट साबित होता है कि विवादित भूमि नदी में न होकर आबादी भूमि की सीमा के अन्दर है और द्वितीय सेन्टलमेंट द्वारा उक्त भूमि को गैर मुमकिन नदी के खसरे में शामिल करने में लिपिकीय त्रुटि है, जो कृत्य बिना क्षेत्राधिकार का है। जहां तक विप्रार्थी द्वारा बिन्दु उठाया कि पूर्व प्रचलित भू प्रबंध के दौरान वादग्रस्त भूमि पर कब्जा/विधिक स्वामित्व होना का दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया है, उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थी ने विवादित भूमि पर कब्जा/स्वामित्व की शाश्वत लीज प्रति पेश की है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

8. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पंचपदरा को आदेशित किया जाता है कि द्वितीय भू प्रबंध के वक्त की गई उक्त त्रुटि को माफिक प्रथम सेन्टलमेंट के अनुसार रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।



(नरेश सोनी)

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27.09.22 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा